डिगरी व मुकद्में इब्तदाई

(आ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत –– उपखण्ड अधिकारी मुकाम – सागवाडा

बईजलास – श्री राजीव द्विवेदी आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

1–श्री मती लक्ष्मी पुत्री गेबा मीणा निवासी पिपलागूँज बनाम 1– श्री मकन पिता श्री हुरजी मीणा निवासी पिपलागूँज वगैरा

दावा अन्तर्गत धारा – 88,209आर0टी0ए0एवं सपठित धारा 125,136 एलआरएक्ट बाबत घोंषणा एंव इन्द्राज दुरूस्ती

मुकद्मा नम्बर – 56/2012

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू श्री राजीव द्विवेदी आर0ए0एस0 मनिजजानिब मुद्यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **वाद वादीया स्वीकार एंव डिकी किया जाकर तहसीलदार को आदेश दिया जाता है कि जमाबन्दी संवत 2060–63 मोजा पिपलागूँज तहसील सागवाडा के खाता संख्या 31 में कुल खेत 11 रकबा 11बीघा 11 बिस्वा का वादिया को खातेदार घोषित किया जाता है । प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम हटाकर वादिया का नाम खाते में इन्द्राज दुरूस्ती किया जावे ।**.....

नीज .....मुबलिग.....बाबत .....

खर्चा इस मुकद्मे के मय सूद व शहर .....फीसदी आज तारीख से तारीख बवसूलयाबी तक ..... का अदा करे ।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख..10..मास 2..सन् 2021को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

मुद्धई	रूपया	पै0	मुद्धायला	रूपया	पै0
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प व्कालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत ईजराय हुक्मनामा मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत ईजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री राजीव द्विवेदी आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

प्रकरण संख्या – 56/2012(राज़स्व वाद) तारीख दायर – 11.7.2012
तारीख फैसल –10-02-2021

अनवान

1– श्रीमती लक्ष्मी पुत्री गेबा जाति मीणा निवासी पिपलागूँज हाल अपने पति श्री हलिया ननोमा निवासी चारवाडा तहसील सागवाडा

(वादीगण)

बनाम

1– श्री मकन पिता श्री हुरजी मीणा निवासी पिपलागूँज
2– श्री अरि पिता श्री हुरजी मीणा निवासी पिपलागूँज मृतक के कायम मुकाम
2/1– श्री खेमजी पिता अरि मीणा
2/2–श्री बहादूरसिंह पिता अरि मीणा
2/3–श्री धनपाल पिता अरि मीणा
2/4– मोती उर्फ प्यारी पिता अरि मीणा
2/5– सुरता पिता अरि मीणा
2/6– नर्वदा पिता अरि मीणा
2/7–विमला पिता अरि मीणा निवासीयान पिपलागूँज
3– श्री सेजू पिता श्री हुरजी मीणा निवासी पिपलागूँज
4– श्रीमान राजस्थान सरकार भूमिधारी मार्फत तहसीलदार सागवाडा ।

(प्रतिवादीगण)

वकील वादी – श्री हरीश पाटीदार
वकील प्रतिवादीगण– श्री शेलेन्द्र जैन

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88,209,राज0टी0एक्ट एवं सपठित धारा 125,136 एलआरएक्ट</u>
<u>बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती</u>

<u>निर्णय</u>

वाद वादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित पेढीनामा के अनुसार वादीया श्री गेबा पिता श्री हुरजी मीणा की एक मात्र पुत्री है ।वादीया के पिता श्री गेबा के प्रतिवादी नं.1 से 3 भाई है ।वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित मौजा पिपलागूँज के खाता संख्या 31 के कुल खेत 11 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा है जो गेबा पिता

Scanned by CamScanner

हुरजी मीणा के खातेदारी,स्वामित्व व कब्जेदारी है । यह कि वादीया के पिता श्री गेबा पिता श्री हुरजी मीणा की मृत्यु दिनांक 21.7.2006 के बाद उनकी उत्तराधिकारी व वारीसान केवल वादीया ही है तथा वादग्रस्त खेतों पर एक मात्र कब्जा वादीया का ही रहा है तथा वादीया शान्तिपूर्ण ढंग से खेती कर फसल इत्यादि प्राप्त करती आ रही है । यह कि वादीया के पिता की मृत्यु के 15–20 दिन बाद वादीया ने उक्त खेतों में नामान्तरकरण दर्ज कराने बाबत प्रार्थना पत्र पेश कर दिया था तथा गेहूँ की फसल लेने गई तो प्रतिवादी नं01 से 3 ने मिलकर लडाई की ओर कहने लगे कि सभी खेत हमारे नाम के है ओर हम ही खेती करेंगे । वादीया का अपने पिता की पैतृक खाते की कृषि भूमि में नाम रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज न होकर प्रतिवदी संख्या 1 से 3 का ही नाम दर्ज है जो कि राजस्व विभाग की भूल है जिससे वादीया का नाम राजस्व रेकार्ड इन्द्राज दुरस्त किया जाना आवश्यक है । वादीया अपने उक्त आराजीयात पर ऋण लेकर विकास करना चाहती है ,यदि इस प्रकार की घोषणा नही की गयी तो प्रतिवादी नं0 1 से 3 वादीया को बेदखल कर देंगे जिससे वादीया को भारी क्षति होगी और वादीया को अपने पिता के खाते की जमीन पर खातेदारी हक से वंचित होना पडेगा । प्रतिवादीगण ने वादीया के पिता को लाओलाद फोत होना बताकर नाजायज फायदा उठा अपना नाम दर्ज करा दिया है ।

वादीया ने वाद के अन्त में जमाबन्दी संवत 2060–63 मोजा पिपलागॅूज तहसील सागवाडा के खाता संख्या 31 में कुल खेत 11 रकबा 11 बीघा 11बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम हटाकर वादीया एक मात्र वारिस पुत्री होने से वादीया का नाम खाते में इन्द्राज दुरस्ती व खातेदार घोषित किए जाने का निवेदन किया गया है ।

वादीया द्वारा वाद समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए मोजा पिपलागॅूज के खाता संख्या 31 की जमाबन्दी संवत 2060, नामान्तरकरण संख्या 847,खाता संख्या 31 की जमाबन्दी संवत 2064–67,,समस्त खसरों के नक्षा ट्रैस ,भूमि रहन मुक्त आदेश ,प्रार्थीया के जन्म का प्रमाण पत्र, विवाह पंजियन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए है।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने सम्मन जारी किए गए । प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ ।जवाब में वादीया द्वारा प्रस्तुत पेढीनामा गलत होना बताते हुए गेबा के तीन बहने होना बताते हुए पेढीनामा प्रस्तुत किया ।इसके अतिरिक्त वादग्रस्त आराजी के खेत खसरा नंबर 249,250,251,262,319,329,330,339,343,373,401हुरजी वल्द अमरा के

Scanned by CamScanner

खातेदारी के होना तथा सभीखेत बपोती होने के कारण हुरजी के सभी वारीसान का बराबर हक होना,गेवा मृत्यु के पूर्व प्रतिवादी संख्या 2 के साथ ही निवास करना एवं मृत्यु केबाद सारा खर्च प्रतिवादी नं0 2 द्वारा करना बताते हुए वादग्रस्त आराजीयात पर वादीया का एक मात्र कब्जा होना अस्विकार किया है ।जवाब में यह भी बताया है कि हुरजी पिता अमरा भील के नाम से संवत 2001–10 के खाते में उक्त खसरा नम्बर के साबिक नम्बर होने के कारण प्रतिवादी नं0 2 के पिता पैतृक खाते की कृषि भूमि होने से अनुसूचित जन जाति के जाति रिवाज के अनुसार ही रेवेन्यू रेकॉड में प्रतिवादी नं0 1 से 3 का ही नाम दर्ज हुआ है ।उक्त खाते में वादीया के पिता बडे पूत्र होने के कारण राजस्व विभाग की भयंकर भूल होन से गेवा बपता हुरजी दर्ज हो गया था, जो राजस्व रेकार्ड के भूल को सुधार कर ही सही वारीसान का नाम दर्ज हुआ है ।

जवाब के अतिरिक्त कथन में बताया है कि प्रतिवादी नं0 1 व 3 ने प्रतिवादी नं02 को पुछे बिना कानूनन बंटवारा हुए बिना उक्त विवादित खसरा नम्बरों में से खसरा नम्बर 319रकबा 2बीघा 7 विस्वा का प्रतिवादी नं01 का पूरा 1/3 भाग एंव प्रतिवादी नं03 का पूरा 1/3 भाग ,खसरा नम्बर 329 रकबा 9 बिस्वा का प्रतिवादी नं01 का पूरा 2/3 भाग व खसरा नं0330 रकबा 16 बिस्वा का प्रतिवादी नं01 का पूरा 2/3 भाग सुरमणा ओबरी निवासी श्रीमती कल्पना पत्नि नानूराम डामोर व श्रीमती कान्ता पत्नि श्री देवीलाल डामोर को बरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.7.2010 को रूपया 32000/– में बेचान कर दिया है जिस कारण केतागण जब मोके पर कब्जा लेने के लिए आये तब प्रतिवादी नं0 2 के विवाद करने पर प्रतिवादी नं0 1 स 3 ने वादीया से मिलकर प्रतिवादी नं0 2 को परेशान करने की नियत से दावा किया है ,दावे में सभी हीतबद्ध पक्षकारान को पक्षकार नही बनाने के कारण वाद में पक्षकार कुसंयोजन के कारण दावा खारीज काबिल है ।वादीया की शादी हो जाने से अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रही है ,पक्षकारान अनुसूचित जन जाति के सदस्य है जाति रिवाज के अनुसार शादी शुदा पुत्री को पिता की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नही रहता है इस कारण वादीया का वाद चलने योग्य नही होना बताया गया है । वादीया का वाद पत्र के अनुसार उक्त खातेदारी जमीन पर हिस्सा मांग करने की अधिकारी होती है तो प्रतिवादीगण की बहन का भी उक्त खाते में अधिकार होने से उन्हे पक्षकार नही बनाने के कारण दावा चलने येाग्य नही होना बताया है ।

प्रतिवादी संख्या 2 के जवाब प्रस्तुत होने पर वाद पत्र एवं जवाब दावा के आधार पर निम्नांकित वाद बिन्दु कायम किए गए –

Scanned by CamScanner

तनकी संख्या 1–

आया वादीया श्री गेबा पिता हुरजी की एक मात्र सन्तान है अतः वादग्रस्त भूमि मोजा पिपलागूँज के खाता नम्बर 31 के कुल खेत 11 में प्रतिवादी नं01 से 3 का नाम हटवाकर अपना नाम दर्ज करवाने की अधिकारी है?(वादीया)

तनकी संख्या 2–

आया वादीया द्वारा प्रतिवादीगण की बहनो को पक्षकार नही बनाने से वादीया का वाद खारीज योग्य है ? (प्रतिवादीगण)

तनकी संख्या 3–

आया वादीया की शादी हो जाने के बाद अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रही है ,शादी शुदा पुत्री को पिता की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नही रहता है अतः वादीया का वाद खारीज योग्य है ? (प्रतिवादीगण)

तनकी संख्या 4–

दादरसी ?

उपरोक्तानुसार तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई, वादी की ओर से साक्ष्य में गवाह पीडब्लू–1 एवं गवाह पीडब्लू–2 ,गवाहपीडब्लू–3 कमशः लक्ष्मी ,मकन,सेजू के बयान का शपथ पत्र प्रस्तुत किया।राज्य सरकार के आदेशानुसार आयेाजित लोक अदालत दिनांक 3.6.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ने शिविर स्थल पर उपस्थित हो वादीया का नाम बहिस्सा बराबर जोडने में अपनी सहमती व्यक्त कर कोई आपत्ति नही होना अपने बयान में उल्लेख किया है ।दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 2 फ़ोत होने से नियमानुसार कायम मुकाम को पक्षकार बनाया जाकर नोटिस जारी किए लेकिन उनके अनुपस्थित होने के कारण दिनांक 11.1.21 को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश जारी किए जाकर वकील वादी की एक पक्षीय बहस सूनी गई ।

विद्वान अभिभाषक वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–1 जमाबन्दी खाता संख्या 31 संवत 2060–2063,प्रदर्श–2 नामान्तरकण संख्या 847,प्रदर्श–3 जमाबन्दी संवत 2064–67,प्रदर्श–4खसरा गिरदावरी संवत 2064 से 2067,प्रदर्श–4 नक्षा ट्रैस ,की ओर आकर्षित करते हुए बताया कि प्रदर्श–1जो कि खाता संख्या 31 की जमाबन्दी संवत 2060–63 है ,में वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार गेबा पिता हुरजी दर्ज है।वादीया लक्ष्मी गेबा की पूत्री है ।प्रदर्श–2 नामान्तरकरण संख्या 847 की नकल है,उक्त नामान्तरकरण गेबा फौत होने के बाद दर्ज किया जाकर गेबा के भाई मकन,अरी,सेजू के नाम से खोला गया है ,वादीया गेबा की पूत्री होने से गेबा की खाते की आराजीयात की एक मात्र मालिक वादीया ही है अतः उक्त मकन,अरी,सेजू

Scanned by CamScanner

का नाम हटाया जाकर वादीया अकेले का नाम दर्ज किया जाना न्यायसंगत होना बताया है । वकील वादी ने अपनी बहस में यह भी बताया है कि वादग्रस्त आराजीयात गेबा की होने एवं वादी या गेबा की पूत्री होने से गेबा की खातेदारी की भूमि में गेबा के भाईयों का कोई अधिकार नही होकर एक मात्र अधिकार वादिया का ही है । वकील वादी ने यह भी बताया कि यदि उक्त वादग्रस्त आराजीयात गेबा के एंव प्रतिवादीगण के पिता हुरजी के खाते के होते तो गेबा के भाईयों एवं बहनो का अधिकार बनता है लेकिन प्रतिवादीगण के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि यह वादग्रस्त आराजीयात गेबा की नही होकर हुरजी की हो । वकील वादीया ने प्रतिवादीगण के जवाब के इस तथ्य को कि पेढीनामा अनुसार गेबा की तीन अन्य बहने पूॅजी,हुकी,वाली भी है ,को स्वीकार करते हुए बताया कि जब वादग्रस्त आरजीयात हुरजी की होती तो इनका हक बनता है लेकिन वाद ग्रस्त आराजीयात प्रदर्श–1 अनुसार गेबा की है जिसमें गेबा के भाईयों व बहनो का कोई हक नही होकर सिर्फ वादीया का ही हक है वकील वादी ने अपनी बहस के अन्त में :वादग्रस्त आरजीयात में दर्ज खातेदार मकन ,अरी,सेजू का नाम हटाया जाकर एक मात्र वादीया लक्ष्मी का नाम दर्ज किया जाने निवेदन कर बहस समाप्त की ।

दौराने वाद कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 व 3 अनुपस्थित होने से दिनांक 28.1.2014 को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश है एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के विरूद्ध एक बार एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश के बाद उनकी ओर से दो तरफा कार्यवाही का कोई प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश नही हुआ है लेकिन राज्य सरकार के आदेशानुसार आयेाजित लोक अदालत दिनांक 3.6.2016को प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ने उपस्थित हो गेबा की पूत्री वादीया लक्ष्मी का नाम बहिस्सा बराबर जोडने की सहमती के बयान दिए है ।बयान में उनका नाम हटाया जाने एवं वादीया अकेली का नाम जोडा जाने का कोई उल्लेख नही है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषक वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया । तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है –

तनकी संख्या 1–

आया वादीया श्री गेबा पिता हुरजी की एक मात्र सन्तान है अतः वादग्रस्त भूमि मोजा पिपलागॅूज के खाता नम्बर 31 के कुल खेत 11 में प्रतिवादी नं01 से 3 का नाम हटवाकर अपना नाम दर्ज करवाने की अधिकारी है?(वादीया)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीया को है ।पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबन्दी खाता संख्या 31 संवत 2060–63 में वादग्रस्त आराजीयात गेबा पिता हुरजी मीणा के नाम दर्ज रेकार्ड है ।पेढीनामा वादी द्वारा जो पेश किया गया है इसमें वादीया उक्त खातेदार गेबा की पूत्री है। गेबा की मृत्यु के बाद गेबा के

Scanned by CamScanner

खाते की आराजीयात में वादीया लक्ष्मी का नाम दर्ज होना चाहिए था लेकिन प्रदर्श– 2नामान्तरकरण संख्या 847 जो कि गेबा फोत होने के पश्चात खोला गया है इसमें गेबा की पूत्री लक्ष्मी का नाम दर्ज नही किया जाकर गेबा के भाई मकन,अरी ,सेजू का नाम दर्ज कर लिया गया है । नियमानुसार गेबा की खाते की आराजीयात पर वादीया लक्ष्मी जो कि गेबा की एक मात्र वारिसान है का नाम दर्ज होना चाहिए था । वादीया वादग्रस्त आराजी मे प्रतिवादीगण का नाम हटाने एंव उसका अकेले का नाम दर्ज कराने की अधिकारी है। अतः यह तनकी बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 2–

आया वादीया द्वारा प्रतिवादीगण की बहनो को पक्षकार नही बनाने से वादीया का वाद खारीज योग्य है ? (प्रतिवादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगणको है । प्रतिवादी की ओर से जवाब में गेबा के तीन भाई के अलावा तीन बहने होना बताते हुए उनको पक्षकार नही बनाने से वाद खारीज योग्य होना बताया है । जब प्रदर्श–1 में गेबा अकेले का नाम है तो गेबा के अन्य भाई अथवा बहनो को पक्षकार बनाने का कोई औचित्य नही है । यदि वादग्रस्त आराजीयात का खाता गेबा एवं प्रतिवादीगण के पिता हुरजी के नाम से होता तो हुरजी की सभी सन्तानो को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था । नामान्तरकरण में भी उक्त तीनो बहनो का कोई नाम नही है जिससे उनको पक्षकार बनाना आवश्यक प्रती त नही होता है । अतः यह तनकी बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 3–

आया वादीया की शादी हो जाने के बाद अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रही है ,शादी शुदा पुत्री को पिता की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नही रहता है अतः वादीया का वाद खारीज योग्य है ? (प्रतिवादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण को है । वादीया ने अपने बयान एवं जीरह द्वारा वकील प्रतिवादी में बताया है कि "यह कहना गलत है कि मेरे विवाह के पश्चात में चारवाडा में निवास नही कर पिपलागूँज में निवास करती हूँ "तथा यह भी बताया है कि चारवाडा मोका अवसर पर जाती है । प्रतिवादी संख्या 2 ने गेबा की सेवा चाकरी एवं मृत्यु के बाद किया कर्म का सारा खर्चा किया जाना अपने जवाब में बताया है लेकिन इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण पेश नही किए गए है । वादीया ने यह भी बताया है कि गेबा की उत्तराधिकारी व वारीसान केवल एक मात्र वादीया ही है तथा वादवर्णित खेतों पर एक मात्र कब्जा होकर शान्तिपूर्ण ढंग सें खेती ककर फसल ईत्यादि प्राप्त कर रही है । वादीया एक मात्र वारिसान

Scanned by CamScanner

होने से पिता की सम्पत्ति की अधिकारी है ।अतः यह तनकी बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है ।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन अनुसार तनकी संख्या 1 से 3 वादीया के पक्ष में निर्णित होने से वाद वादीया स्वीकार एवं डिकी किया जाकर तहसीलदार को आदेश दिया जाता है कि जमाबन्दी संवत 2060–63 मोजा पिपलागूँज तहसील सागवाडा के खाता संख्या 31 में कुल खेत 11 रकबा 11 बीघा 11बिस्वा का वादिया को खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम हटाकर वादिया का नाम खाते में इन्द्राज दुरस्ती किया जावे।

डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 10-2-2021.....को खूले न्यायालय में सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल शुमार हो ।नम्बर से कम हो ।

(राजीव द्विवेदी)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner